रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2016/कार्तिक 24, 1938
No. 403] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2016/KARTIKA 24, 1938

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

अधिसूचना

त्रिपुरा, 11 नवम्बर, 2016

सं एफ- 37-3/2009-डेस्क (यू).—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

प्रथम अध्यादेश

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, 2007 की सं. 9)

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित

संदर्भ सं.- एफ-37-3/2009-डेस्क(यू) दिनांक 1 मई, 2012)

अध्यादेश ए-1

विभाग/केन्द्र से अध्ययन संकाय मंडल तक के कार्य के संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम,2006 की उपधारा 31 (1) (पी) के अधीन संविधि 15 के खंड 5 (ए) के साथ पढ़ा जाए)

प्रत्येक संकाय के अंतर्गत उल्लिखित विभाग/केन्द्र उसी संकाय हेतु निर्दिष्ट होंगे, जब कभी वे स्थापित किए जाएंगे :

1. **साहित्य संकाय :**
 - i. अंग्रेजी विभाग
 - ii. बांग्ला विभाग
 - iii. हिन्दी विभाग
 - iv. संस्कृत विभाग
 - v. भाषा-विज्ञान विभाग
 - vi. तुलनात्मक साहित्य विभाग

vii. कोकबरक एवं जनजातीय भाषा विभाग

2. प्राकृतिक विज्ञान के संकाय :

i. भौतिकशास्त्र विभाग
ii. रसायनशास्त्र विभाग
iii. गणित विभाग
iv. सांख्यिकी विभाग
v. वनस्पतिशास्त्र विभाग
vi. प्राणीशास्त्र विभाग
vii. मानव शारीरिकी विभाग
viii. भूगोल एवं आपदा प्रबंधन विभाग

3. समाजशास्त्र के संकाय :

i. व्यावहारिक एवं विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र विभाग
ii. इतिहास विभाग
iii. राजनीतिशास्त्र विभाग
iv. दर्शनशास्त्र विभाग
v. समाजशास्त्र विभाग
vi. लोक-प्रशासन विभाग
vii. मनोविज्ञान विभाग
viii. ग्रामीण प्रबंधन एवं विकास विभाग
ix. शिक्षाशास्त्र विभाग
x. गांधी अध्ययन केन्द्र
xi. महिला अध्ययन केन्द्र
xii. जनजातीय अध्ययन केन्द्र
xiii. समाजिक बहिष्कार एवं समावेश नीति अध्ययन केन्द्र

4. चिकित्सा विज्ञान के संकाय :

i. शरीर-रचना-विज्ञान विभाग
ii. औषध विज्ञान विभाग
iii. शारीर विज्ञान विभाग
iv. औषध विज्ञान विभाग
v. बाल चिकित्सा विज्ञान विभाग
vi. चिकित्सा जैव-रसायन विज्ञान विभाग
vii. प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान विभाग
viii. भेषज विज्ञान विभाग
ix. आंख, नाक व रतिज रोग विज्ञान विभाग
x. त्वजा एवं रतिज रोग विज्ञान विभाग
xi. शल्य-चिकित्सा विज्ञान विभाग

IndiaCode

xii. न्याय-चिकित्सा विज्ञान विभाग

xiii. मन:चिकित्सा विज्ञान विभाग

xiv. उपचर्या विभाग

xv. मानव आनुवंशिक रोग एवं रोग प्रतिरक्षण विज्ञान अध्ययन केंद्र

xvi. जड़ी-बूटी औषध विज्ञान अन्वेषण केन्द्र

5. वाणिज्य, विधि, प्रबंधन एवं सूचना विज्ञान के संकाय :

i. वाणिज्य विभाग

ii. व्यावसायिक प्रबंधन विभाग

iii. विधि विभाग

iv. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग

v. पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

6. अभियांत्रिकी एवं तकनीकी के संकाय :

i. संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग

ii. संगणक अनुप्रयोग विभाग

iii. विद्युत अभियांत्रिकी विभाग

iv. यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग

v. जानपद अभियांत्रिकी विभाग

vi. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग

vii. उत्पादन एवं औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग

viii. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

7. कृषि एवं पशु विज्ञान तथा वानिकी के संकाय:

i. कृषि विज्ञान विभाग

ii. वानिकी एवं जैव-विविधता विज्ञान वभाग

iii. उद्यान-विज्ञान विभाग

iv. मत्स्य विज्ञान विभाग

v. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विभाग

8. संगीत एवं ललित कला के संकाय :

i. संगीत विभाग

ii. ललित कला विभाग

9. शारीरिक शिक्षा के संकाय :

i. शारीरिक शिक्षा विभाग

10. अंतर-विषयक एवं प्रयुक्त विज्ञान के संकाय :

i. जैव-रसायन विज्ञान विभाग

ii. सूक्ष्म-जैविकी विज्ञान विभाग

iii. आणविक एवं जैव-सूचना विज्ञान विभाग

iv. खाद्य प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विज्ञान विभाग

IndiaCode

v. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

vi. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग

vii. बहुलक विज्ञान विभाग

और, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् एवं कार्य-परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अन्य कोई विभाग ।

अध्यादेश ए-2

अध्ययन संकाय मंडल(बोर्ड)के संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 31(1)(जे)के अधीन संविधि 15 के खंड (3) के साथ पढ़ा जाए)

1. गठन:

अध्ययन संकाय समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :

i. संकायाध्यक्ष;

ii. संकाय मेंविभागों/केन्द्रोंके अध्यक्ष;

iii. संकाय के सभी प्राध्यापक;

iv. क्रमिक रूप से एवं वरिष्ठता के आधार पर प्रत्येक विभागों/केन्द्रोंसे एक सह प्राध्यापक तथा एक सहायक प्राध्यापक;

v. संबंद्ध महाविद्यालयों के संबंधित संकाय से दो प्राध्यापक, जिन्हें महाविद्यालय-सेवा की वरिष्ठता के आधार पर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;

vi. शैक्षिक परिषद् द्वारा पांच ऐसे व्यक्ति नामित किए जाएंगे जो संबंधित संकाय के विषय के विशेषज्ञ होंगेतथा जोइस विश्वविद्यालय अथवा इससे संबद्ध/मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थान से संबंधित कार्मिक नहीं होंगे;

vii. अन्य संकायों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि, जो संबंधित संकाय के साथ अंतर-विद्यावर्ती विषयों पर कार्य करता हो, कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।

2. कार्यकाल:

संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापकों के अतिरिक्त सामान्य सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

3. अध्यक्ष :

संकायाध्यक्षअध्ययन संकाय मंडल के अध्यक्ष होंगे तथा बैठकों का संयोजन भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा।

4. अधिकार एवं कार्य :

समिति के कार्य एवं अधिकार निम्न प्रकार से होंगे :

क. संकाय के विभागों/केन्द्रों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पाठ्यक्रमों की अनुशंसा शैक्षिक परिषद् को करना;

ख. संकाय के विभागों/केन्द्रोंद्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की योग्यता एवं नामांकन प्रक्रिया का निर्धारण करना;

ग. विभागों/केन्द्रोंद्वारा पीएच.डी. डिग्री हेतु शोधके लिए प्रवेश हेतु आने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार करना;

घ. संकाय के विभागों/केन्द्रोंमें एम.फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार करना तथा उसकी संस्तुति करना;

ङ. सत्रीय कार्य के मूल्यांकन के लिए सामान्य नियमावली का निर्माण करना;

च. संकाय केविभागों/केन्द्रोंहेतु शैक्षिक समय-सारणी (अकादमिक कैलेंडर)को समन्वित करना;

छ. संकाय के छात्रों के कल्याण से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करना;

ज. संकाय के विभागों/केन्द्रोंमें अध्यापन एवं शोध कार्य का समन्वयन करना;

झ. संकाय हेतुअध्यापन एवं शोध की उन्नयन योजना पर विचार करना तथा तत्संबंधी प्रस्ताव शैक्षिक परिषद् को प्रेषित करना;

ञ. विभागों/केन्द्रों से प्राप्तप्रस्तावों के अनुसार पदों के सृजनव उन्मूलन संबंधी प्रस्तावपर विचार करना तथा आवश्यकतानुसार शैक्षिक परिषद् को अनुशंसा करना;

ट. विभाग द्वारा शोध उपाधि के अतिरिक्त अन्य संचालित पाठ्यक्रमों हेतु संबंधित विभागीय अध्ययन मंडलों द्वारा संस्तुत परीक्षक कीनियुक्ति संबंधी प्रस्तावों की अनुशंसा करना;

ठ. संबंधित अध्ययन समिति की अनुशंसा से विभागों/केन्द्रों द्वारा संचालित शोध उपाधियों के पाठ्यक्रम में समावेशन, परिवर्तन तथा संशोधन की संस्तुति करना;

ड. शोध-प्रबंध के मूल्यांकन संबंधी विभागों/केन्द्रों से आए प्रस्ताव पर विचार कर उसे शैक्षिक परिषद् को अनुशंसित करना;

ढ. अभ्यर्थी को शोध उपाधि प्रदान करने हेतुशोध-प्रबंध के मूल्यांकन के लिए नियुक्त परीक्षक के निर्णय पर विचार करना तथा तत्संबंधी समुचित अनुशंसा करना;

ण. संकाय के एक से अधिक विभागों/केन्द्रोंकी रुचि के विषयों अथवा क्षेत्रों में अध्यापन एवं शोध कार्य आयोजित करने के लिए समिति का गठन करना, जो किसी एक विभाग/केन्द्रके क्षेत्राधिकार में नहीं हैं तथा उस समिति के कार्य का निरीक्षण करना। इस तरह की समितियों का गठन, कार्य तथा अधिकारों का निर्धारण विनियमों के अनुसार होगा;

त. समय-समय पर मंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार संकायाध्यक्ष अथवा मंडलके किसी सदस्य अथवा किसी समिति को सामान्य अथवा विशिष्ट अधिकार प्रदान करना;

थ. समिति द्वारा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्, शैक्षिक परिषद् अथवा कुलपति द्वारा मंडल कोसंदर्भित सभी मुद्दों पर विचार करने के अलावा अन्य वेकार्य भी करने होंगे जो विश्वविद्यालय अधिनियम, संविधि तथा अध्यादेश द्वारा विहित हों।

5. बैठक :

क. मंडल द्वारा प्रत्येक शैक्षिकसत्र के दौरानकम से कम दो सामान्य बैठकें आयोजित की जाएँगी,जिनमें से प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम एक बैठक आयोजित होगी।

ख. संकायाध्यक्ष द्वारा मंडल की विशेष बैठक स्वयं पहल करके अथवा कुलपति की सलाह से या फ़िरमंडल के पांचवें भाग की संख्या के सदस्यों के लिखित अनुरोध से आयोजित की जा सकेगी। विशेष बैठक में पूर्व में अधिसूचित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य मद पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. गणपूर्ति(कोरम):

गणपूर्ति हेतु समिति के कुल सदस्यों के एक-तिहाई भाग काउपस्थित होना अनिवार्य होगा।

7. सूचना :

समिति की विशेष बैठक के अलावा अन्य सभी बैठकों के लिए निर्धारित तिथि से 14 दिन पूर्व सूचना जारी करना आवश्यक होगा।

8. कार्य-नियम :

समिति की बैठक विहितविनियमों के अनुसारसंचालित होंगी।

अध्यादेश ए-3

स्नातकोत्तर अध्ययन मंडल (बोर्ड)के संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 31(1)(जे)के अधीन संविधि 16 के खंड (2) एवं (3) के साथ पढ़ा जाए)

1. गठन :

प्रत्येक विभाग के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन मंडल का गठन निम्न प्रकार से किया जाएगा:

i. विभागाध्यक्ष;

ii. विभाग के सभी प्राध्यापक;

IndiaCode

iii. वरिष्ठता एवं आवर्तन (रोटेशन) आधार परविभाग के दो सह प्राध्यापक एवं दो सहायक प्राध्यापक;

iv. संबंधित संकाय के अध्यक्ष;

v. संकाय के अंतर्गत विभाग के साथ समान पाठ्यक्रम वाले विभागों से एक शिक्षक;

vi. संकाय समिति द्वारा नामित अधिकतम तीन सदस्य जो संबंधित विभाग के विषय-विशेषज्ञ होंगे तथा जो इस विश्वविद्यालय अथवा इससे संबद्ध अथवा मान्यता-प्राप्त महाविद्यालय के कार्मिक नहीं होंगे।

2. कार्यकाल :

विभाग के अध्यक्ष एवं प्राध्यापक तथा संकायाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों काकार्यकाल दो वर्ष काहोगा। यद्यपि सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा लेकिन यदि विभाग में आवर्तन हेतु शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं हैं तो सदस्य के तौर परउन्हें पुन: नामित किया जा सकता है।

3. अध्यक्ष :

विभागाध्यक्ष ही समिति के पदेन अध्यक्ष एवं समन्वयक होंगे।

4. कार्य :

समिति के कार्य निम्न प्रकार से होंगे :

क. विभाग द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा तत्संबंधी पाठ्य-पुस्तकों/संदर्भ ग्रंथों की सूची की अनुशंसा संकाय मंडल को करना;

ख. एम.फिल. एवं पीएच.डी. डिग्री के लिए शोध-विषय को अनुमोदित करना;

ग. एम.फिल. एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों के साथ उनके शोध विषय संबंधी विवरण तथा पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्ति हेतु विभाग के शिक्षक के नामों की अनुशंसा संकाय मंडल से करना;

घ. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु प्रश्न-पत्र निर्माताओंतथा मॉडरेटरों के साथ परीक्षक की नियुक्ति कीअनुशंसा संकाय मंडल को करना तथा संबंधित पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर एम.फिल. लघु शोध प्रबंध एवं पीएच.डी. शोध प्रबंध के परीक्षक की सूची की अनुशंसा करना।

ङ. शोधार्थियों की पीएच.डी. पूर्वसार्वजनिक संगोष्ठी (प्री. पीएच.डी. पब्लिक सेमिनार) हेतु संकाय मंडल को बाह्य विशेषज्ञके नाम कीअनुशंसा करना, जिसे कुलपति को अनुमोदनार्थ भेजा जाएगा;

च. संकाय मंडल, शैक्षिक परिषद्, कार्यपरिषद् तथा कुलपति द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्यों का भी संपादन।

5. गणपूर्ति :

गणपूर्ति के लिए समिति के कुल सदस्यों का एक-तिहाई भाग का उपस्थित होना आवश्यक होगा।

6. कार्य विवरण:

मंडल की बैठक का कार्य-विवरण अध्यक्ष के पास रखा जाएगा।

7. कार्य-नियम :

मंडल की बैठकों का संचालन विहितविनियमों के अनुसार होगा।

8. सूचना :

मंडल की बैठक हेतु निर्दिष्ट तिथि से 15 दिन पूर्व सूचना जारी करना आवश्यक होगी।

<u>अध्यादेश ए-4</u>

स्नातक अध्ययन मंडल के संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 31(1)(पी)के अधीन)

संक्षिप्त शीर्षक :

स्नातक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक स्नातक अध्ययन मंडल होगा।

1. गठन :

समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :

i. संबंधित विभाग के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होंगे;

ii. विभाग के प्राध्यापक;

iii. वरिष्ठता एवं आवर्तन के आधार पर कुलपति द्वारा नामित विभाग का एक सह प्राध्यापक एवं एक सहायक प्राध्यापक;

iv. संबद्ध महाविद्यालयों से संबंधित विषय में सेवा-वरिष्ठता के आधार पर कुलपति द्वारा नामित पांच शिक्षक;

v. विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा नामित दो बाह्य सदस्य, जिनमें से एक पूर्वोत्तर क्षेत्र से होगा।

ऐसे विभाग,जहाँविश्वविद्यालय में अध्यापन-कार्य नहीं होता है,उनके लिए स्नातक अध्ययन मंडल का गठननिम्न प्रकार से होगा :

(i) तीन सदस्य, जो कि सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (वरिष्ठ ग्रेड) से नीचे के पद के नहीं होंगे, शैक्षिक परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें से एक की नियुक्तिकुलपति द्वारा बतौर अध्यक्षकी जाएगी;

(ii) संबंद्ध महाविद्यालयों से संबंधित विषय केपांच शिक्षक, जो संबंधित संकाय मंडल द्वारा नामितहोंगे;

(iii) संबंधित संकाय मंडल के अध्यक्ष की अनुशंसा से संबंधित विषय के दो बाह्य विशेषज्ञ कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे, साधारण तौर जिनमें से एक पूर्वोत्तर क्षेत्र से होगा;

इनके अतिरिक्त, कोई ऐसा विषय, जिनका भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन नहीं कराया जाता, के लिए आवश्यक विषय-विशेषज्ञता रखने वाले दो सदस्य कुलपति द्वारा नामित होंगे।

2. कार्यकाल :

स्नातक अध्ययन मंडल के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इस अवधि निर्धारणनियुक्ति के समय से किया जायेगा।

3. अध्यक्षता :

जहाँ स्नातकोत्तर विभाग होगा, वहां उसके अध्यक्ष ही समिति के अध्यक्ष भी होंगे। जहाँ स्नातकोत्तर विभाग नहीं है, वहाँसमिति के भीतर से हीउसके सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। समिति द्वारा आयोजित सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे, ऐसी कोई बैठक जिनमें अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहेंगे उनमें उपस्थित सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष का चयन करेंगे।

4. कार्य एवं अधिकार:

क. शैक्षिक परिषद् को संबंधित पाठ्यक्रम केपाठ्य-विवरण एवं आवश्यक पाठ्य-पुस्तकों की अनुशंसा करना;

ख. शैक्षिक परिषद् को स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों तथा तत्संबंधी विषय के अध्यापन में गुणात्मक सुधार के उपायों की अनुशंसा करना;

ग. शैक्षिक परिषद् को संबंधित विषय के लिए उपयुक्तप्रश्न-पत्र निर्माताओं समेत परीक्षक आदि के नामों की अनुशंसा करना;

घ. मंडल के समक्ष स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, शैक्षिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् अथवा कुलपति द्वारा प्रेषित विषयों पर विचार करना तथा तत्संबंधी निर्णयों से उन्हें अवगत कराना;

5. बैठक :

क. मंडल की बैठक का संयोजन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

ख. अध्यक्ष द्वारा मंडल की विशेष बैठक का आयोजन स्वयं की पहल अथवा संकायाध्यक्ष के अनुरोध या फ़िर कुलपति की सलाह अथवा मंडल के कम से कम चार सदस्यों की लिखित मांग पर किया जा सकता है।

6. सूचना :

मंडल के बैठक की सूचना कुलपति द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।

7. गणपूर्ति :

मंडल की बैठक की गणपूर्ति के लिए समिति के कुल सदस्यों की एक-तिहाई उपस्थिति आवश्यक होगी।

8. कार्य-नियम :

मंडल की बैठक का संचालन विहित विनियमों के अनुसार होगा।

MadhyaCode

अध्यादेश ए-5

विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकनके संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 31(1)(ए)के अधीन)

1. विश्वविद्यालय अधिनियम एवं संविधि तथा अन्य नियम के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना ऐसा कोई भी छात्र स्नातक स्तर के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के लिए योग्य नहीं होगा,जिसने स्कूल व्यवस्था के लिए निर्धारित परीक्षा पद्धति के माध्यम से 12 वीं तक की पढ़ाई सफलतापूर्वकपूरी न कर ली हो। नामांकन प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित पद्धति के अनुसार मैरिट के आधार पर छात्रों का नामांकन होगा, जिसमें समय-समय पर भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए जाने वाले आरक्षण संबंधी निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

छात्रों का नामांकन विभाग में उपस्थितशिक्षकों की संख्या एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाएगा।

संकाय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में ऐसे छात्र नामांकन पाने के पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने त्रि-वर्षीय/चार-वर्षीय (जहां चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम है) डिग्री पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया हो।

2. ऐसे अभ्यर्थी, जो इस विश्वविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में नामांकन लेना चाहते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय के इस संबंध में निर्धारित नियम और शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा।

अध्यादेश ए-6

उपाधि, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्रके संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 31(1)(डी)के अधीन)

विश्वविद्यालय द्वारा लागू अध्यादेश एवं विनियमोंके अनुसार (आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रकरण-विशेष पर भी लागू) निम्नलिखित उपाधियाँ, डिप्लोमा एवंप्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएँगे:

(i) दर्शन-निष्णात, दर्शनशास्त्र में डॉक्टरेट, विज्ञान में डॉक्टरेट, साहित्य में डॉक्टरेट एवं विधि में डॉक्टरेट की उपाधि;

(ii) कला, विज्ञान, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, शिक्षाशास्त्र, विधि, कृषि, प्रबंधन अध्ययन, भैषज विज्ञान, औषधि, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी तथा समय समय पर यूजीसी द्वारा निर्धारित और शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदितइस प्रकार के अन्य विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि;

(iii) कला, विज्ञान, वाणिज्य कम्प्यूटर अनुप्रयोग, औषध विज्ञान(फार्मकोलॉजी), शिक्षा, कृषि, औषधि(मेडिसिन), अभियांत्रिकी एवं विधि स्नातक उपाधि (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) तथा समय समय पर यूजीसी द्वारा निर्धारित और शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित इस प्रकार के अन्य विषयों में स्नातक उपाधि;

(iv) कॉकबरक भाषा एवं साहित्य, बांस संवर्धन एवं संसाधन अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा समय-समय शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों के डिप्लोमा;

(v) सिविल,यांत्रिकी एवं विद्युत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, मेडिकल लैब टेक्नॉलॉजी, फैशन टेक्नॉलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा समय-समय शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित इस प्रकार के अन्य क्षेत्रों केडिप्लोमा;

(vi) विभिन्न भाषाओं में डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र;

(vii) समय-समय पर शैक्षिक परिषद् द्वारा अनुमोदित कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं अन्य पाठ्यक्रम हेतु प्रमाणपत्र;

(viii) मानद उपाधियाँ तथा

(ix) समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर संचालित उपाधियाँ एवं डिप्लोमा एवं सर्टिफ़िकेट।

अध्यादेश बी-1

संकायाध्यक्षों के कार्य एवं अधिकार के संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 31(1)(पी)के अधीन खंड (3) के साथपढ़ा जाए)

संकाय के डीन संकायाध्यक्ष होंगे तथा विभागों में अध्यापन एवं शोध मानकों की गुणवत्ता के संचालन एवं संरक्षण के जवाबदेह होंगे। प्राध्यापकों के मध्य से वरिष्ठता एवं आवर्तन के आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलपति द्वाराइनकी नियुक्ति की जाएगी।

संकायाध्यक्ष के कार्यएवं अधिकार निम्न प्रकार से होंगे :

क. विभागों/केन्द्रोंके अध्यक्ष के माध्यम से संकाय में संपन्न होने वाले अध्यापन एवं शोध कार्यों का पर्यवेक्षण व समन्वय करना;

ख. विभागों/केन्द्रोंके अध्यक्ष के माध्यम से संकाय में अनुशासन बनाए रखना;

ग. आवश्यकतानुसार अंतरविद्यावर्ती अध्यापन एवं शोध को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना;

घ. संकाय-मंडल अथवा शैक्षिक-परिषद् के निर्देशों के अनुरूपविश्वविद्यालय को संकाय के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने की अनुशंसा करना;

ङ. छात्रों के सत्रीय मूल्यांकन का अभिलेख रखना तथा परीक्षा की दृष्टि से सैद्धांतिक कक्षाओं, ट्यूटोरियल्स, संगोष्ठी अथवा प्रायोगिक कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना;

च. संकाय के निर्णयों व संस्तुतियों को प्रभावी बनाने हेतु कदम उठाना;

छ. शैक्षिक परिषद्, कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौपे जाने वाले कार्यों का निर्वहन करना।

<u>अध्यादेश बी-2</u>

विभागाध्यक्ष एवं उनके कार्यों के संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 31(1)(पी)के अधीन)

1. कुलपति द्वारा आवर्तन के आधार पर प्रत्येक विभाग के प्राध्यापकों में से एक को अधिकतम तीन वर्ष के लिए संबंधित विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा;

जिन विभागों में सिर्फ एक प्राध्यापक होगा, या एक भी प्राध्यापक नहींहोगा; वहां कुलपति द्वारा उपलब्ध रीडरोंमें से अधिकतम तीन वर्ष के लिए किसी एक की नियुक्तिबतौर विभागाध्यक्ष की जाएगी;

जिस व्यक्ति की नियुक्ति विभाग के अध्यक्ष के तौर पर की जाएगी, वह नियुक्ति की तिथि से देय अवधि तक बतौर विभागाध्यक्ष कार्यरत रहेगा, सिवाय कि वह नौकरी छोड़ दे अथवा विभागाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दे।

2. विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष के अग्रलिखित सामान्य निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा:

क) विभाग में अध्यापन एवं शोध कार्य का आयोजन करना;

ख) विभाग के शिक्षकों को अध्यापन-कार्य आवंटित करना तथा विभाग के सुचारू परिचालन के लिएउन्हें अन्य आवश्यककार्य सौंपना;

ग) विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित विभागीय समितियों के कार्य का समन्वयन करना, तथा

घ) अन्य ऐसे कार्योंका निर्वहन, जो संकायाध्यक्ष, संकाय मंडल, शैक्षिक परिषद्, कार्य परिषद् तथा कुलपति द्वारा सौंपे जाएंगे।

अध्यादेश बी-3

संकायाध्यक्षों की समिति के संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 31(1) (जे) के अधीन संविधि 22 की उपधारा (1) के साथ पढ़ें)

1. लघुशीर्षक:

संकायों के मध्य अध्यापन एवं शोध के प्रतिमानों में समरूपता स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन संकायों के अध्यक्षों की एक समिति निर्मित करेगी।

2. समिति का गठन:

संकायाध्यक्षों की समिति निम्न सद्स्यों से निर्मित होगी:

i.	कुलपति	- अध्यक्ष(पदेन)
ii.	सम-कुलपति	- सदस्य(पदेन)
iii.	सभी संकायों के अध्यक्ष	- सदस्य
iv.	परीक्षा नियंत्रक	- सदस्य
v.	कुलसचिव	- सचिव

3. कार्य:

इस समिति के कार्य निम्न होंगे:

क) परीक्षाओं के आयोजन, परिणाम मानक तथा शोध के संदर्भ में आवश्यक मुद्दों पर विचार करना।

ख) संकायों एवं विभागों की कार्यपद्धति से संबंधित सामान्य प्रशासनिक मुद्दों पर विचार करना।

ग) कार्य-परिषद द्वारा समानुदेशित अथवा कुलपति द्वारा संदर्भित अन्य मुद्दों पर विचार करना।

4. बैठक:

सचिव(कुलसचिव) द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की सूचना जारी की जायेगी।

5. गणपूर्ति:

बैठक हेतु गणपूर्ति कुल संख्या का एक-तिहाई होगी।

6. कार्य नियमावली:

बैठकें आयोजित करने के नियम विश्वविद्यालय के रेगुलेशन के अनुसार तय किए जाएंगे।

अध्यादेश बी-4

महाविद्यालय विकास परिषद के संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के अनुच्छेद 31(1) (आई) के अन्तर्गत)

1. शीर्षक:

त्रिपुरा विश्वविद्यालय में एक महाविद्यालय विकास परिषद होगी। यह परिषद विश्वविद्यालय के संदर्भ में महाविद्यालयों के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगी; साथ ही, महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रतिमानों के संस्थापन में नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करेगी।

2. गठन:परिषद में निम्न सदस्य होंगे

1)	कुलपति	-अध्यक्ष(पदेन)
2)	सम-कुलपति	- सदस्य(पदेन)
3)	कुलपति द्वारा बारी बारी से नामांकित दो प्राध्यापक/ सह-प्राध्यापक श्रेणी के शिक्षक, जिनमें से एक विज्ञान संकाय तथा एक कला एवं वाणिज्य संकाय का होगा।	- सदस्य
4)	कुलपति द्वारा सेवा की वरिष्ठता के आधार पर सम्बद्ध महाविद्यालयों से बारी-बारी से नामित तीन प्राचार्य, जिनमें से एक सामान्य महाविद्यालय से, एक तकनीकी महाविद्यालय से तथा शेषएक व्यावसायिक महाविद्यालय से होगा।	- सदस्य
5)	कुलपति द्वारा सेवा की वरिष्ठता के आधार पर सम्बद्ध महाविद्यालयों से बारी-बारी से नामित तीन शिक्षक, जिनमें से एक विज्ञान संकाय से, एक कला संकाय से तथा शेष एक वाणिज्य/तकनीकी/व्यावसायिक विभाग से होगा।	- सदस्य
6)	राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक	- सदस्य
7)	परीक्षा नियंत्रक	- सदस्य
8)	वित्त अधिकारी	- सदस्य
9)	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	- सदस्य
10)	निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद	- सदस्य
11)	कुलसचिव	- सदस्य(पदेन)

IndiaCode

3. कार्यकाल:

पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

4. रिक्तियों की पूर्ति:

कुलपति द्वारा बीमारी, निधन अथवा त्यागपत्र अथवा किसी अन्य कारण सेहुई रिक्ति को यथाशीघ्र भरने के लिए जरूरी कार्यवाही की जाएगी।

5. बैठक:

i) परिषद की बैठक एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य आयोजित की जायेगी तथा बैठक का आयोजन सचिव द्वारा कुलपति की सलाह से किया जायेगा।

ii) कुलपति बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में सम-कुलपति बैठक के अध्यक्ष होंगे।

6. सूचना:

विशिष्ट बैठकों के अतिरिक्त सामान्य बैठक की सूचना तय तिथि से 21 दिन पूर्व प्रसारित की जानी चाहिए।

7. गणपूर्ति:

परिषद की वास्तविक सदस्य संख्या की एक-तिहाई उपस्थिति को बैठक की गणपूर्ति माना जायेगा।

8. कार्य-विवरण:

सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखा जाएगा और तथा बैठक के बाद 15 दिन के अंदर सदस्यों के मध्य वितरित करा दिया जाएगा।

9. कार्य एवं अधिकार:

महाविद्यालय विकास परिषद के कार्य एवं अधिकार निम्न होंगे:

(i) कार्य-परिषद की प्रधान परामर्शदात्री समिति के रूप में संबद्ध महाविद्यालयों से संबंधित मुद्दों को शैक्षिक परिषद के माध्यम से अनुशंसा करना।

(ii) संबद्ध महाविद्यालयों में भवन संबंधी एवं शैक्षणिक उपकरणों की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता के संबंध में आकलन करना।

(iii) संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों की योग्यता एवं पर्याप्तता तथा उनकी सेवा शर्तों का आकलन करना।

(iv) महाविद्यालयों में छात्रों की आवासीय, कल्याण, अनुशासन एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना।

(v) महाविद्यालयों के नियमित रखरखाव के लिए वित्तीय प्रावधानों की पर्याप्तता का आकलन करना।

(vi) महाविद्यालयों में सामान्य शैक्षिक एवं प्रशासनिक मानकों में क्रमिक सुधार को देखते हुए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श प्रदान करना।

(vii) महाविद्यालय की ओर से विभिन्न विकास परियोजनाओं को तैयार करना तथा महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रायोजक संस्थाओं को इसे प्रस्तुत करना।

(viii) शैक्षणिक परिषद अथवा कुलपति की सलाह पर प्रत्येक दो शैक्षणिक वर्षों में एक बार महाविद्यालयोंके निरीक्षण की व्यवस्था करना, ताकि प्रत्येक महाविद्यालय का अद्यतन प्रोफाइल तैयार कियाजा सके तथा 'निरीक्षण प्रतिवेदन'पर अनुवर्ती कार्यवाही करना औरआवश्यकतानुसारकिए जाने वाले उपायों हेतु परामर्श देना। निरीक्षण दल के सदस्य कुलपति द्वारा नामांकित किये जायेंगे।

(ix) समय-समय पर महाविद्यालय के शैक्षणिक प्रदर्शन की समीक्षा करना तथा सुधार हेतु परामर्श देना।

(x) महाविद्यालयों की शिक्षणेतर गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु परामर्श प्रदान करना।

(xi) विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजन की समीक्षा हेतु निरीक्षण दल की व्यवस्था करना एवं आवश्यकतानुसारकिए जाने वाले उपायों हेतु परामर्श देना।

IndiaCode

10. परिषद के दैनिक क्रियाकलापों का निष्पादन निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद द्वारा किया जायेगा तथा वह विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के मध्य विश्वविद्यालय के निर्देशों के प्रसार तथा महाविद्यालय मुद्दों को ग्रहण करने हेतु संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

अध्यादेश बी-5

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के संदर्भ में

(अनुच्छेद 31(1) (पी) के अधीन संविधि की उपधारा 39 के साथ पढ़ें)

1. विश्वविद्यालय में एक छात्र कल्याण अधिष्ठाता होगा।

2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापकोंमें से की जायेगी। नियुक्ति के उपरान्त संबंधित प्राध्यापक या सह-प्राध्यापक द्वारा अपनी सामान्य सेवाओं के साथ-साथ छात्र-कल्याण अधिष्ठाताका कार्य करना होगा। अधिष्ठाता का सेवा-काल तीन वर्ष की अवधि का होगा तथा इसके बाद संबंधित प्राध्यापक या सह-प्राध्यापककी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है।

3. अगर अधिष्ठाता, छात्र कल्याण का पद रिक्त हो अथवा वह बीमारी, या किसी अन्य़ कारण से अनुपस्थित हो अथवा अपने कार्य निष्पादन में असमर्थ हो, तब अधिष्ठाता के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

4. अधिष्ठाता छात्र कल्याण के कार्य एवं अधिकार-

क) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण छात्र परिषद का अध्यक्ष होगा।

ख) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण छात्रों के सामान्य कल्याण कार्यों को देखेगा तथा छात्रों के बौद्धिक एवं सामाजिक जीवन के मध्य मजबूत एवं फलदायी संबंधों के लिए समुचित प्रोत्साहन प्रदान करेगा तथा अध्ययन कक्ष के बाहर के विश्वविद्यालयीन जीवन के पहलुओं पर ध्यान देगा, जो परिपक्व एवं जवाबदेह नागरिक के रूप में उनके विकास एवं वृद्धि में योगदान दे सकें।

ग) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण अन्य बातों के साथ साथ निम्न मुद्दों पर छात्रों को सलाह एवं परामर्श की व्यवस्था करेगा;

i) छात्र निकायों की व्यवस्था एवं विकास करना।

ii) परामर्श एवं छात्र दिग्दर्शन तथा नियोजन परामर्श सेवायें।

iii) छात्रों की पाठ्येतर एवं क्रीड़ा गतिविधियाँ।

iv) छात्रों को वित्तीय अनुदान।

v) छात्र-संकाय तथा छात्र-प्रशासन संबंध।

vi) छात्रो के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें ।

vii) छात्रों का आवासीय जीवन।

viii) छात्रों के लिए देश में और/अथवा विदेश में आगे की पढाई हेतु सुविधाओं की व्यवस्था; तथा

ix) छात्र शैक्षिक भ्रमण, यदि कोई हो।

घ) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण इस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु उपरोक्त उद्देश्यों को पाने के लिए कुलपति द्वारा समय समय पर समानुदेशित किये जाने पर करेगा।

अध्यादेश बी-6

विश्वविद्यालयीन छात्रों के आवास के संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 31(1) (एच) के अधीन)

1. उद्देश्य:

विश्वविद्यालय में उन छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था होगी, जिनकी बड़ी संख्या सुदूर क्षेत्रों से आती है और नगर में तथा विश्वविद्यालय परिसर के इलाके में किराये के मकानों में निवास करती है। छात्रावास आवंटित करने का उद्देश्य है कि:

क) छात्रों को सौहार्द्रपूर्ण आवासीय स्थल प्रदान करना ताकि वे स्वयं को उच्च शिक्षा हेतु समर्पित कर सकें।

ख) छात्रों को समझदार एवं बौद्धिक अभिभावकत्व प्रदान करना, जबकि वे एक संवेदनशील आयु में अपने माता-पिता/अभिभावकों से दूर रह रहे हों।

ग) छात्रों को एक परिवार जैसे महौल में साथ-साथ रहने का अवसर प्रदान करना ताकि उनके मध्य पारस्परिक सहयोग तथा साथीपन की भावना का विकास हो सके।

घ) छात्रों में स्वावलंबन की क्षमता का विकास करना।

2. छात्रावास:

ङ) विश्वविद्यालय द्वारा छात्रावासों का संचालनछात्रों की आवासीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।

च) सभी आवासीय कक्षों (छात्रावासों) का नामकरण विश्वविद्यालय के निर्णयानुसार किया जायेगा।

छ) प्रत्येक छात्रावास वार्डन के प्रभार में होगा।

ज) प्रत्येक छात्रावास विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजिकाओं एवं अभिलेखों का रखरखाव करेगा और जैसा विश्वविद्यालय को आवश्यकता होगी उस प्रकार की सांख्यिकीय सूचनाएँ समय-समय पर उपलब्ध करायेगा।

झ) सभी छात्रावासियों को छात्रावास-नियमावली के अनुसार अनुशासन का पालन करना होगा।

3. छात्रावासों के वार्डन्स:

i) नियुक्ति: छात्रावास के वार्डन की नियुक्ति कुलपति द्वारा 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी,जिसके नियम एवं शर्तें समय-समय पर कार्य-परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार होंगे। वार्डन मानदेय के साथ किरायामुक्त गैर-फर्निश्ड आवासके पात्र होंगे, जैसा कार्य-परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।

ii) वार्डन्स के कार्य एवं अधिकार: छात्रावास के वार्डन का कार्य एवं अधिकारों का निष्पादन समय समय पर कुलपति द्वारा समानुदेशित किया जाएगा और ये अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के परामर्श से कार्यान्वित होगा। कुलपति द्वारा समानुदेशित विशिष्ट कार्यों के अतिरिक्त वार्डन के कार्य निम्न होंगे;

क) वह आवासी छात्रों के स्वास्थ्य,आरोग्यता, स्वच्छता, सफाई एवं भोजन हेतु जवाबदेह होगा/होगी।

ख) वह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि उसके प्रभार के अंतर्गत सभी रहवासी छात्रावास नियमावली का पालन करें एवं अनुशासन एवं शिष्टाचार बनाये रखें।

ग) वह समानुदेशित छात्रों के लिए कक्षों का आवंटन करेगा/ करेगी तथा माता-पिता अथवा अभ्भावक के स्थाई पते एवं ऐसी अन्य सूचनाओं के साथ छात्रों की सूची तैयार करेगा/करेगी जैसी कि समुचित प्राधिकारियों को आवश्यकता हो।

घ) वह रहवासी छात्रों का दैनिक अभिलेख जैसे उनकी दैनिक उपस्थिति रखेगा तथाउनकी अनुपस्थिति के कारणों के साथ-साथछात्रावास से अनुपस्थिति का रखरखाव करेगा/करेगी।

ङ) वह छात्रावास में रह रहे छात्रों के कदाचार, अनुशासनहीनता, बीमारी संबंधी प्रकरणों में अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को जानकारी देगा/देगी।

च) वह छात्रावास की संपूर्ण सुरक्षा का जवाबदेह होगा तथा इसके लिए विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करेगा/करेगी।

छ) वह केयरटेकर के साथसमय-समय पर छात्रावास के फर्नीचर और फिटिंग्स का सत्यापन करेगा/करेगी तथा उनके मरम्मत/स्थानापन्न अथवा अतिरिक्त फर्नीचर प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही करेगा/करेगी।

ज) उसके पास छात्रावास कक्षों के निरीक्षण का अधिकार होगा;

1. उसके पास छात्रावास के लिए समानुदेशित कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

2. वह समाचारे-पत्रों एवं पत्रिकाओं के चयन हेतु परामर्श देगा/देगीतथा इन समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के क्रय के लिए केयरटेकर द्वारा निर्मित बिलों की जाँच करेगा/करेगी।

3. किसी अप्राधिकृत अतिथि को रखने पर वह प्रशासनिक कार्यवाही कर सकेगा/सकेगी।

4. वह सामूहिक कक्ष में अनुशासन एवं शिष्टाचार सुनिश्चित करेगा/करेगी।

5. वह छात्रावास के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की देखभाल करेगा तथा छात्रावास अनुदान से संवितरण को नियमित करेगा/करेगी।

6. यदि रहवासी मेस-बिल नहीं देता है अथवा जो छात्रावास खाली कर जा चुके हैं अथवा छात्रावास से निकाले जा चुके हैं तो वह ऐसे छात्रों की भोजन सुविधायें बन्द कर सकेगा/सकेगी।

4. निरीक्षण एवं स्थानीय समिति

क.प्रत्येक छात्रावास के सुचारू प्रबंध हेतु वार्डन की सहायता के लिए एकनिरीक्षण एवं स्थानीय समिति होगी, जिसके सदस्यों के रूप में निम्न होंगे;

अ) वार्डन – अध्यक्ष

ब) प्रिफेक्ट – सदस्य

स) छात्रावास से तीन सदस्य जिनमें से एक मेस प्रबंधक/ सचिव होना चाहिए- सदस्य

ख. स्थानीय समिति की नियुक्ति वार्डन के द्वारा की जायेगी तथा इसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

अ) वार्डन द्वारा एक या एक से अधिक निरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी, जोकि उन्हें इस प्रकार से कार्य सौंपेगा, ताकि छात्रावास की कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चलाई जा सके।

ब) निरीक्षक का कार्यकाल एक वर्ष का होगा और उसे छात्रावास में मुफ्त आवास की सुविधा प्रदान की जायेगी और इस कार्यकाल के दौरान उसे एचआरए (आवास किराया भत्ता) नहीं प्रदान किया जायेगा।

अध्यादेश बी-7

अनुदेशों एवं परीक्षा के माध्यम के संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 31(1) (सी) के अधीन)

शैक्षिक विभागों के शोध एवं अध्ययन कार्यक्रमों में अनुदेशों एवं परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई और निर्णय नहीं लिया जाता।

साहित्य के विषयों में अनुदेशों एवं परीक्षा की माध्यम-भाषा संबंधित साहित्य-विशेष की भाषा ही होगी जब तक कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई और निर्णय नहीं लिया जाता।

अध्यादेश बी-8

दीक्षांत-समारोहके संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 31(1) (डी) के अन्तर्गत संविधि 32 एवं 27(1) के साथ पढ़ें)

1. वार्षिक दीक्षांत-समारोह:

प्रत्येक वर्ष एक दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय की उपाधि, डिप्लोमा एवं अन्य विशिष्ट सम्मान प्रदान करने हेतु कार्य-परिषद के द्वारा तय तिथि व स्थान पर कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

उस वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं हो पाता है तो यदि कुलपति को यह अधिकार होगा कि वह सफल अभ्यर्थियों को संबंधित उपाधि के बिना प्रवेश लेने हेतु प्राधिकृत करे तथा कुलसचिव को प्राधिकृत करेगा कि वह उचित शुल्क जमा करने पर उपाधियाँ जारी करे।

2. विशिष्ट दीक्षांत-समारोह:

शैक्षिक परिषद की अनुशंसा पर कार्य-परिषद द्वारा कुलाध्यक्ष(विजिटर) के पूर्व अनुमोदन से तय की गई तिथि में विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत किसी मानद उपाधि प्रदान करने हेतु विशिष्ट दीक्षांत-समारोह का आयोजन किया जा सकता है।

3. सूचना:

क) कुलसचिव द्वारा दीक्षांत-समारोह की बैठक के लिए कम से कम 4 सप्ताह पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

ख) कुलसचिव द्वारा दीक्षांत-समारोह के सभी सदस्यों को सूचना देने के साथ-साथसमारोह के आयोजन कीकार्यविधि की जानकारी भीदी जानी चाहिए।

ग) वे अभ्यर्थी दीक्षांत-समारोह में शामिल होने के पात्र होंगे, जिन्होंने उसी वर्ष अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिस वर्ष के लिए दीक्षांत का आयोजन किया जा रहा है।

IndiaCode

4. प्रदान की जाने वाली उपाधियाँ एवं पदक/डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र:

क) मानद उपाधि/ विशिष्ट पदक

ख) डॉक्टर की उपाधि

ग) मास्टर की उपाधि

घ) स्नातकोत्तर उपाधि

ङ) स्नातक उपाधि

च) पदक एवं प्रमाण पत्र

5. आवेदन:

क) दीक्षांत-समारोह में स्वयं उपस्थित होकर उपाधि प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को अपना आवेदन विहित शुल्क के साथ विहित तिथि को अथवा उसके पूर्व, कुलसचिव को प्रस्तुत करना चाहिए।

ख) अभ्यर्थी जो वैयक्तिक रूप से दीक्षांत में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, उनकी उपाधि कुलपति द्वारा स्वीकार की जायेगीतथा अभ्यर्थी द्वारा उसे आवेदन के साथ विहित शुल्क का भुगतान करके कुलसचिव सेप्राप्त कियाजा सकेगा।

6. शुल्क:

दीक्षांत पर उपाधि के प्रवेश हेतु वैयक्तिक रूप से उपस्थिति का शुल्क200/- तथा उपस्थिति के बगैर दीक्षांत में उपाधि के लिए शुल्क 300/- होगा।

7. मानद उपाधि:

मानद उपाधि केवल दीक्षांत-समारोह के दौरान ही प्रदान की जायेगी तथा उसे वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर अथवा उपस्थिति के बगैर भी प्राप्त किया जा सकेगा।

8. प्राप्तकर्ताओं का प्रस्तुतिकरण:

क) जिन्हें दीक्षांत में मानद उपाधि/विशिष्ट पदक दिए जाने हैं, उन व्यक्तियों का प्रस्तुतिकरण कुलपति से कुलाधिपति को अथवा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम संकायाध्य से कुलपति को किया जाना है।

इसके बाद मानद उपाधि/विशिष्ट पदक के प्राप्तकर्ताओं को प्रस्तुत करने वाला वह अधिकारीअध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहेगा कि,"महोदय कार्य-परिषद द्वारा अनुशंसित तथा कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित की मानद उपाधि प्रदान करने हेतु आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है" तथाअपने विवेकाधिकार से वह इस प्रकार की अन्य टिप्पणियाँ जोड़ सकता है, जिन्हें वह प्राप्तकर्ता को उच्च सम्मान हेतु चयनित की गई उपलब्धियों के लिए उपयुक्त समझता है।

कुलाधिपति अथवा कुलपति जैसी स्थिति हो इसके उपरान्त कहेंगे "त्रिपुरा विश्वविद्यालय की कोर्ट/कार्य-परिषद आपको मानद उपाधि प्रदान करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रही है।" और अपने विवेकाधिकार से वह इस प्रकार की अन्य टिप्पणियाँ जोड़ सकता है, जिन्हें वह प्राप्तकर्ता को उच्च सम्मान हेतु चयनित की गई उपलब्धियों के लिए उपयुक्त समझता है।

मानद उपाधि एवं विशिष्ट पदक का पुरस्कार प्रदान करने के बाद कुलपति महोदय कहेंगे 'माननीय कुलाधिपति महोदय, प्रतिष्ठित अतिथिगण, विश्वविद्यालय समुदाय के सदस्यगण, देवियो एवं सज्जनो! अब हम विभिन्न परीक्षाओं में सफ़ल रहे उन छात्रों को डॉक्टर एवं मास्टर की उपाधि तथा स्नातकोत्तर एवं स्नातक डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली पड़ाव पर आ पहुँचे हैं, जिन्हें इसके लिए उपयुक्त पाया गया है। इन सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा प्रमाण पत्रों को समुचित शैक्षणिक प्राधिकारी तथा कोर्ट/कार्य-परिषद द्वारा अनुशंसित किया गया है।

ख) डॉक्टर्स की उपाधि के लिए अभ्यर्थियों कोसंकायवार प्रस्तुत किया जायेगा यथा साहित्य, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, एवं..... जैसा कि संविधि मेंक्रमानुसार दिया गया है।

i) स्नातकोत्तर अध्ययन के सभी संकायाध्यक्ष बारी-बारी अपने डॉक्टर्स उपाधि लेने वाले अभ्यर्थियों से कहेंगे, ".....की उपाधि प्राप्त करनेजा रहे सभी अभ्यर्थीगण!कृपया खड़े हों जाएँ तथा वे तब तक खड़े रहेंगे जब तक किमैं उन्हें अपनी सीट पुन: ग्रहण करनेके लिए न कहूँ?"

ii) संकायाध्यक्ष कुलपति से कहेंगे, " महोदय, मैं आपको डॉक्टर ऑफ..... (यहाँ समुचित उपाधि दर्शाई जाय) की उपाधि के लिए अभ्यर्थी प्रस्तुत करता हूँ तथा मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह उपाधि जिसके लिए

IndiaCode

उनकी अनुशंसा की गई है वह उन्हें प्रदान की जाय" उसके बाद संकायाध्यक्ष अभ्यर्थियों से कहेंगे "कृपया बैठ जाएँ।"

iii) जब डॉक्टर्स उपाधि के सभी अभ्यर्थी संबंधित संकायाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जा चुके हों, तो कुलपति कहेंगे, " क्या सभी अभ्यर्थी, जो कि डॉक्टर्स उपाधि हेतु प्रस्तुत किये गये, कृपया खड़े होंगे?"(ठहरकर)। त्रिपुरा विश्वविद्यालय की कार्य-परिषदआपको अनुशंसित की गई उपाधि प्रदान करने पर प्रसन्नता अनुभव करती है और इससेसंबंधित सभी अधिकारएवं सुविधाएँ आपको प्रदान करती है। मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप मेंआपको जीवनभर के लिए प्रदान किये गये उक्त अधिकार सौंपता हूँ और आपको इसके योग्य प्रदर्शन करने को कहता हूँ। "कृपया बैठ जाएँ।" इसके बाद अभ्यर्थी अपनी सीट पर बैठेंगे।

ग) मास्टर्स उपाधि एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थी संकायवार संबंधित स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

iv) प्रत्येक स्नातकोत्तरविभाग के अध्यक्ष अभ्यर्थियों से कहेंगे, "विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की मास्टर्स ऑफ/डिप्लोमा इन...../सर्टिफिकेट इनकी ".....की उपाधि प्राप्त करनेजा रहे सभी अभ्यर्थीगण!कृपया खड़े हों जाएँ तथा वे तब तक खड़े रहेंगे जब तक किमैं उन्हें अपनी सीट पुन: ग्रहण करनेके लिए न कहूँ?"

i) विभागाध्यक्ष तब कुलपति से कहेंगे/कहेंगी, "महोदय, मैं आपको मास्टर्स ऑफ /डिप्लोमा इन...../सर्टिफिकेट इनकी उपाधि के लिए अभ्यर्थी प्रस्तुत करता हूँ तथा मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, जिनके लिए इनकी अनुशंसा की गई है इन्हें प्रदान/पुरस्कृत किए जाएँ" उसके बाद संकायाध्यक्ष अभ्यर्थियों से कहेंगे/कहेंगी, "कृपया बैंठ जाएँ।"

v) जब मास्टर्स उपाधि एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के सभी अभ्यर्थी प्रस्तुत किये जा चुके हों तो कुलपति कहेंगे," क्या सभी अभ्यर्थी, जो कि डॉक्टर्स उपाधि हेतु प्रस्तुत किये गये, कृपया खड़े होंगे?"(ठहरकर)। त्रिपुरा विश्वविद्यालय की कोर्ट/कार्य-परिषद आपको अनुशंसित की गई उपाधि प्रदान करने पर प्रसन्नता अनुभव करती है और इससे संबंधित सभी अधिकारएवं सुविधाएँ आपको प्रदान करती है। मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आपको जीवनभर के लिए प्रदान किये गये उक्त अधिकार सौंपता हूँ और आपको इसके योग्य प्रदर्शन करने को कहता हूँ। (तत्काल अभ्यर्थी झुककर स्वीकार करेंगे!)"कृपया बैठ जाएँ।" इसके बाद अभ्यर्थी अपनी सीट पर बैठेंगे।

घ) उपाधियों एवं मास्टर्स उपाधि एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद कुलसचिव परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगिताओं को परिणामों के पुरस्कारस्वरूप पदक प्राप्तकर्ताओं के नाम पुकारेंगे प्रत्येक अभ्यर्थी जिसका नाम पुकारा जायेगा वह अध्यक्ष(कुलाधिपति या कुलपति) के हाथ अपना पदक प्राप्त करेगा/करेगी।

ङ) इसके बाद कुलसचिव स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्यों के नाम, उनके महाविद्यालय के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पुकारेंगे इसके पश्चात प्रत्येक प्राचार्य, जिसका नाम पुकारा गया है, वह कुलपति की ओरसे प्रमाण पत्रों के पैकेट प्राप्त करने जायेगा/जायेगी।

च) किसी संकाय के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उस संकायाध्यक्ष का कार्य कुलसचिव द्वारा संपादित किया जायेगा।

9. सत्र हेतु कार्यविधि

क) कुलाधिपति, मुख्य अतिथि, कुलदेशिक, कुलपति, समकुलपति, कुलसचिव, संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्राधिकारी के सदस्य तय समय में एक बैठक कक्ष में एकत्र होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा तय अपना विशिष्ट परिधान पहनेंगे।

ख) सभी निम्न क्रम से जुलूस के रूप में दीक्षांत कक्ष की ओर प्रस्थान करेंगे

i) कुलसचिव

ii) विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष(विजिटर) यदि उपस्थित हैं तो

iii) कुलदेशिक(चीफ रेक्टर)

iv) कुलाधिपति

v) मुख्य अतिथि

vi) कुलपति

vii) सम-कुलपति

viii) अतिथि एवं पूर्व कुलपति

ix) द कोर्ट

x) कार्य परिषद

xi) शैक्षिक परिषद

xii) संकायाध्यक्ष

xiii) स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष

xiv) परीक्षा नियंत्रक

xv) वित्त अधिकारी

xvi) निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद

xvii) ग्रंथपाल

ग) जब जुलूस दीक्षांत कक्ष में प्रवेश करेगा तो सभीअभ्यर्थी एवं उपस्थित दर्शक खड़े हो जाएंगे और तब तक खड़े रहेंगे, जब तक कि जुलूस के सभी सदस्य उनके लिए आरक्षित सीट पर बैठ न जायें।

घ) कुलाधिपति अथवा उनकी अनुपस्थिति में कुलपति दीक्षांत की अध्यक्षता करेंगे।

ङ) दीक्षांत कक्ष में अध्यक्षता कर रहे कुलाधिपति अथवा कुलपति, दीक्षांत के आरंभ हेतु कहेंगे, "मैं दीक्षांत-समारोह आरंभ करने की घोषणा करता हूँ।" यदि कोई दीक्षांत एक सत्र से अधिक चलता है तो कुलाधिपति या कुलपति जो भी वहाँ अध्यक्षता कर रहे हों, अंतिम सत्र के अलावा प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर कहेंगे " मैं तक दीक्षांत के स्थगन की घोषणा करता हूँ।"

च) दीक्षांत-समारोह का कार्यक्रम पवित्र गीता के पाठ और स्वागत गीतों के साथ आरंभ होगा।

छ) कुलाधिपति / कुलपति इस अवसर के अनुरूप शब्दों द्वारा मुख्य-वक्ता का परिचय देंगे तथा उन्हें दीक्षांत-संबोधन हेतु आमंत्रित करेंगे। यदि अध्यक्ष चाहें तो यह संबोधन पदकों के वितरण समापन के बाद किया जा सकता है।

ज) इसके बाद कुलपति विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

झ) अधिकारी मानद उपाधियों /अन्य उपाधियों/प्रमाण पत्रों/ पदकों को प्राप्त करने हेतु उपस्थित प्राप्तकर्ताओं को अनुच्छेद 8 में दर्शाये क्रम के अनुसार प्रस्तुत करेंगे और कुलपति उन्हें संबंधित उपाधि प्रदान करेंगे।

ञ) कुलदेशिक(चीफ रेक्टर) दीक्षांत को संबोधित करेंगे।

ट) कुलाधिपति अपना अध्यक्षीय संबोधन देंगे/देंगी।

ठ) दीक्षांत के समापन हेतु कुलसचिव धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। कुलाधिपति अथवा कुलपति जो भी अध्यक्षता कर रहे हों, कहेंगे, "मैं दीक्षांत-समारोहसम्पन्न होने की घोषणा करता हूँ।"

ड) इसके बाद राष्ट्रगान गाया जायेगा, इस दौरान दीक्षांत के सभी सदस्य एवं दर्शक खड़े रहेंगे।

ढ) आखिर में जुलूस दीक्षांत-कक्ष से उसी क्रम में विदा होगा, जिस क्रम में उसने प्रवेश किया था। जुलूस के दीक्षांत कक्ष छोड़ देने तकसभी उपाधि-प्राप्तकर्ता तथा दर्शक खड़े रहेंगे।

अध्यादेश बी-9

विश्वविद्यालय एवं उसके महाविद्यालयों के मध्य अनुशासन बनाए रखने और समुचित आचार हेतु अनुशासन समिति के संदर्भ में

(त्रिपुरा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 31(1) के अधीन संविधि 29 के खंड (1),(6)और (7) में पढ़ा जाय)

1. शीर्षक:

विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने एवं समुचित आचार हेतु विश्वविद्यालय में एक अनुशासन समिति होगी।

2. सदस्य:

अनुशासन समिति निम्न सदस्यों द्वारा निर्मित होगी

1.	कुलपति	-अध्यक्ष
2.	समकुलपति	-सदस्य
3.	संकायों के अध्यक्ष	- सदस्य
4.	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	
5.	छात्रावास वार्डन (विशेष आमंत्रित,यदि छात्रावास से संबंधित मुद्दा बैठक में रखा जाता है।)	- सदस्य
6.	निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद	- सदस्य
7.	परीक्षा नियंत्रक	- सदस्य
8.	कुलानुशासक(प्रोक्टर)	-सदस्य सचिव

3. कार्य एवं अधिकार:

i) घोषणा के रूप में कुछ अनुशासन नियमों का निर्माण करना तथा अनुशासन क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करना जिस पर सभी छात्रों से प्रवेश के समय हस्ताक्षर किया जाना है।

ii) कक्षा/कार्यालय/ग्रंथागार/प्रेक्षागृह/परीक्षा केन्द्र में छात्रों के कदाचार से संबंधित अथवा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रति अथवा किसी कर्मचारी के प्रति दुर्व्यवहार के मुद्दों पर विचार करना।

iii) विश्वविद्यालय में अनुशासन संबंधी सम्पूर्ण स्थिति की समय समय पर समीक्षा करना।

iv) कुलानुशासक/छात्रावास वार्डन द्वारा की गई कार्यवाहियों पर विचार कर समिति उसकी पुष्टि कर सकती है या निर्णय में परिवर्तन कर सकती है।

4. विवाद प्रकरण:

अनुशासन समिति का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

5. गणपूर्ति(कोरम):

बैठक में कुल सदस्यों की एक तिहाई सदस्यों की उपस्थि

ओ. एस. अधिकारी, कुलसचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./297 (380-बी)]

TRIPURA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Tripura, the 11th November, 2016

No. F. 37-3/2009-Desk(U).—The following is published for general information :—

THE FIRST ORDINANCES

(Under the Tripura University Act, 2006; No. 9 of 2007)

(As approved by the Ministry of Human Resource Development, New Delhi

Vide No. F. 37-3/2009-Desk(U) dated 1st May, 2012)

Ordinance A-1

On the assignment of Departments/Centres to the Board of Faculties of Studies

(Under Subsection 31 (1) (P) of the TU Act, 2006 read with Clause 5(a) of Statute 15)

The Departments/ Centres mentioned under each faculty shall be assigned to that faculty as and when they are established:

1. The Faculty of Literature:

i. Department of English

ii. Department of Bengali

iii. Department of Hindi

iv. Department of Sanskrit

v. Department of Linguistics

vi. Department of Comparative Literature

vii. Centre for Kokborok and Tribal Languages

2. **The Faculty of Natural Sciences:**

i. Department of Physics

ii. Department of Chemistry

iii. Department of Mathematics

iv. Department of Statistics

v. Department of Botany

vi. Department of Zoology

vii. Department of Human Physiology

viii. Department of Geography and Disaster Management

3. The Faculty of Social Sciences

i. Department of Applied and Analytical Economics

ii. Department of History

iii. Department of Political Science

iv. Department of Philosophy

v. Department of Sociology

vi. Department of Public Administration

vii. Department of Psychology

viii. Department of Rural Management and Development

ix. Department of Education

x. Department of Gandhian Studies

xi. Centre for Women Studies

xii. Centre for Tribal Studies

xiii. Centre for Study of social Exclusion and Inclusive Policy

4. The Faculty of Medical Sciences

i. Department of Anatomy

ii. Department of Pharmacology

iii. Department of Physiology

iv. Department of Medicine

v. Department of Pediatrics

vi. Department of Medical Biochemistry

vii. Department of Obstetrics & Gynecology

IndiaCode

viii. Department of Pharmacy

ix. Department of Eye, Nose and Throat

x. Department of Dermatology and Venereology

xi. Department of Surgery

xii. Department of Forensic Science

xiii. Department of Psychiatry

xiv. Department of Nursing

xv. Centre for Human Genetic Diseases and Immunological Studies

xvi. Centre of Exploration of Herbal Drugs

5. The Faculty of Commerce, Law, Management and Information Science:

i. Department of Commerce

ii. Department of Business Management

iii. Department of Law

iv. Department of Library and Information Science

v. Department of Journalism and Mass Communication

6. The Faculty of Engineering and Technology:

i. Department of Computer Science & Engineering

ii. Department of Computer Applications

iii. Department of Electrical Engineering

iv. Department of Mechanical Engineering

v. Department of Civil Engineering

vi. Department of Electronics and Communication in Engineering

vii. Department of Production & Industrial Engineering

viii. Department of Information Technology

7. The Faculty of Agricultural and Animal Sciences & Forestry:

i. Department of Agriculture

ii. Department of Forestry and Biodiversity

iii. Department of Horticulture

iv. Department of Fishery

v. Department of Veterinary and Animal Sciences

8. The Faculty of Music and Fine Arts:

i. Department of Music

ii. Department of Fine Arts

9. The Faculty of Physical Education:

i. Department of Physical Education

10. The Faculty of Interdisciplinary and Applied Sciences:

i. Department of Biochemistry

ii. Department of Microbiology

IndiaCode

iii. Department of Molecular Biology and Bioinformatics

iv. Department of Food technology and Food Processing

v. Department of Biotechnology

vi. Department of Ecology and Environmental Science

vii. Department of Polymer Science

And, any other Department that may be approved by the Academic Council and Executive Council of University from time to time.

Ordinance A-2

On the Board of Faculty of Studies

(Under Section 31(1) (j) of the TU Act, 2006 read with

Clause (3) of Statute 15)

1. Construction:

The Board of the Faculty of Studies shall consists of

i. The Dean of the Faculty;

ii. The Heads of the Departments/ Centres in the Faculty;

iii. All Professors in the Faculty;

iv. One Associate Professor and one Assistant Professor from each of the Departments/ Centres by rotation on the basis of seniority;

v. Two teachers of the concerned departments of the faculty from affiliated colleges to be nominated by the Vice-Chancellors on the basis of seniority in college service;

vi. Five persons nominated by the Academic Council who have specialized knowledge and expertise in the subjects (of the faculty) and who are not employees of the University or of any of its affiliated or recognized institutions' and

vii. One representative from each of the other faculties which have inter-disciplinary work with the faculty concerned on the subject area to be nominated by the Vice-Chancellor on the recommendations of the respective faculty.

IndiaCode

2. Terms of the office:

The terms of the office of the members, other than that of the Dean, Heads of the Departments and Professors shall be two years.

3. Chairperson:

The Dean of the Faculty of Studies shall be the chairperson of the Board of faculty and shall convene the meeting of the Board.

4. Powers and Functions:

The powers and functions of the Board shall be as follows:

a. to recommend to the Academic Council the various courses of study offered by the Departments/ Centres in the faculty'

b. to prescribe the qualifications for and procedure for admission of candidates to the various courses of study in the departments/ centres in the faculty;

c. to consider the applications of candidates for admission to the courses of research offered by the Departments/ Centres in the faculty leading to Ph.D. degree;

d. to consider and recommend the M.Phil programme of the candidates in the Departments/ Centres in the faculty;

e. to frame general rules for the evaluation of sessional works;

f. to co-ordinate the time-tables (academic calendars) of the Departments/ Centres of the faculty;

g. to consider proposals regarding the welfare of the students of the faculty;

h. to co-ordinate the teaching and research work in the Departments/ Centres in the faculty;

i. to consider schemes for the advancement of teaching and research in the faculty, and to submit such proposals to the Academic Council;

j. to recommend to the Academic Council the creation and abolition of teaching posts after considering proposals received from the Departments/ Centres;

k. to recommend examiners for appointment for the courses other than research degrees, offered by the Departments on the recommendation of the Board of Studies of the concerned Departments;

l. to recommend introduction, alternation and revision of syllabi of courses in the research degrees, offered by the Departments on the recommendation of the Board of Studies of the concerned Departments/ Centres;

m. to recommend to the Academic Council the names of examiners for the evaluation of thesis after considering proposals received in this regard from the Departments/ Centres;

n. to consider the reports of the examiners appointed for adjudication of the thesis of the candidates for the award of research degrees and make suitable recommendations;

o. to appoint committees to organize the teaching and research work in subjects or areas which are of interest to more than one Departments or Centres of the faculty, or which do not fall within the spheres of any Department or Centre, and to supervise the work of such committees, the composition, powers, and functions of such committees shall be prescribed by the regulations;

p. to delegate to the Dean or to any member of the Board or to a committee such general or specific powers as may be decided upon by the Board from time to time; and

q. to perform all other functions which may be prescribed by the act, the Statutes and the Ordinances, and to consider all such matters as may be referred to it by the Executive Council, the Academic council or the Vice-Chancellor.

5. Meeting:

a. The Board shall hold at least two ordinary meetings in each academic year, one in each semester.

b. The Dean may convene special meetings of the Board at his own initiative or at the suggestion of the Vice-Chancellor or on a written request from at least one-fifth of the members of the Board. No item other than these notified earlier shall be discussed at the special meetings;

6. Quorum:

The quorum for a meeting of the Board shall be one-third of its members;

7. Notice:

Notice for a meeting of the Board, other than a special meeting shall be issued at least 14 days before the date fixed for the meeting;

8. Rules of Business:

The rules for the conduct of meetings of the Board shall be prescribed by the regulations.

Ordinance A-3

On the Board of Post-Graduate Studies

(Under Section 31(1) (j) of Tripura University Act, 2006 read with

Clause (2) & (3) of Statute 16)

1. Construction:

The Board of Post-Graduate Studies for each department shall comprise :

i The Head of the department;

ii. All Professors of the department;

iii. Two Associate Professors and two Assistant Professors of the Department on the basis of seniority by rotation;

iv. Dean of the faculty concerned;

v. One teacher each from other Departments within the faculty having common courses with the Department;

vi. Not more than three persons nominated by the Board of faculty who have specialized knowledge in the discipline of the concerned Department and who are not employees of the university or any of it's affiliated or recognized institutions.

2. Term of office:

Other than the Head and Professors of the Department and the Dean of the faculty the term of the office members shall be two years. However, such members who are the members of the Department can be re-nominated if the number of teachers in the department is not enough for rotation.

3. Chairperson:

The Head of the Department shall be the convener and ex-officio Chairperson of the Board.

4. Functions:

Functions of the Board shall be:

a. to recommend to the Board of faculty, the Post-Graduate courses of studies offered by the Department and the text books/ reference books of the courses;

b. to approve the subjects for research for M.Phil and Ph.D. degrees;

c. to recommend to the Board of faculty the names of the student candidates for M.Phil and Ph.D. programmes along with the details of the subjects of research and names of teachers in the Department to be appointed as supervisors of research;

d. to recommend to the Board of faculty the appointment of examiners including paper setters and moderators for the post-graduate courses and list of examines for M.Phil dissertations and Ph.D. thesis on the recommendation of the supervisor concerned;

e. to recommend to the Board of faculty names of outside expert members for Pre-Ph.D. public seminars of the candidates for approval of the Vice-Chancellor;

f. to perform such other functions as may be assigned by the Board of faculty, the Academic Council, Executive Council and the Vice-Chancellor.

5. Quorum:

The quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total members of the Board.

6. Minutes:

The Chairperson of the Board shall keep the minutes of the meetings of the Board.

7. Rules of Business:

The rules for the conduct of the meetings of the Board shall be prescribed by the regulations.

8. Notice:

Notice of the meetings of the Board shall be issued at least 15 days before the date fixed for the meeting.

Ordinance A-4

On the Board of Under-Graduate Studies

(Under Section 31(1) (p) of the TU Act, 2006)

Short title:

There shall be a Board of Under-Graduate Studies for each subject taught at the degree level.

1. Construction:

The constitution of the Board shall be as follows:

i. The Head of the University Department teaching the subject (Chairperson, ex-officio)

ii. Professors in the Department;

iii. One Associate Professor and one Assistant Professor in the Department on the basis of seniority by rotation to be nominated by the Vice-Chancellor;

iv. Five teachers from affiliated colleges engaged in teaching the subject concerned on the basis of seniority of service nominated by the Vice-Chancellor;

v. Two outside experts nominated by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Head of the Department of whom one shall ordinarily be a person from the North-Eastern region.

Provided that where there is no teaching at the University Department for which the Board of Under-Graduate Studies being constituted, the constitution will be as follows:

(i) Three persons not below the rank of Associate Professor/ Assistant Professor (Sl. Grade) to be appointed by the Academic Council, one of whom be appointed as Chairperson by the Vice-Chancellor.

(ii) Five teachers from affiliated colleges engaged in teaching the subject concerned nominated by the Board of faculty concerned.

(iii) Two external Experts on the subject concerned nominated by the Vice-Chancellor on the recommendation by the Chairperson of the Board of faculty, of whom one should ordinarily, be a person from the North Eastern Region.

Provided further that for subjects for which Post-Graduate teaching is not offered in any University in India, the Vice-Chancellor may nominate two persons having the requisite expertise on the subjects.

2. Term of the Office:

Members of the Board of Under-Graduate Studies shall hold office for a period of three years of such period as may be fixed at the time of appointment.

3. Chairperson:

The Head of the Post-Graduate Department, where existing shall be the Chairperson of the Board. In his absence, the Chairperson shall be elected by the members of the Board. The Chairperson shall preside over all meetings of the Board; and in his absence, at any particular meeting, the members present shall elect their own Chairman.

4. Powers and Functions:

a. to make recommendation to the Academic Council in regard to the syllabi of the courses of study and necessary text books for the courses;

b. to recommend to the Academic Council measures for improvement of the standard of Under Graduate Courses and teaching in the subject;

c. to recommend to the Board of faculty panel of names suitable for appointment as examiners including paper setters, etc. in the subject with which it deals, and

d. to consider and report on any matter referred to the Board by Head of the Post-Graduate Department, the Dean of faculty, the Academic council, the Executive Council or the Vice-Chancellor.

5. Meeting:

a. Meeting of the Board shall be convened by the Chairperson of the Board.

b. Special meetings may be called by the Chairperson on her/his own or on the request of the Dean of the Faculty or at the suggestion of the Vice-Chancellor or on a written request of at least four members of the Board.

6. Notice:

Notice of the meetings of the Board shall be issued by an Administrative Officer to be nominated by the Vice-Chancellor.

7. Quorum:

The quorum for a meeting of the Board shall be one-third of total members of the Board.

8. Rules of Business:

The rules of conduct of the meeting shall be prescribed by the Regulations in this regard.

Ordinance A-5

On the Admission of students to the University

including its Affiliated Colleges:

(Under Section 31(l) (a) of the TU Act, 2006)

1. Without prejudice to the provisions of the Act and Statutes, and other rules of the University, no student shall be eligible for admission in the first degree course in the faculties unless he/she has successfully completed 12 years schooling through an examination conducted by a Board/University. The admission shall be made on merit on the basis of criteria notified by the University after taking into account the reservation order issued by the Govt. of India/UGC from time to time.

 Student enrolment shall be in accordance with the number of teachers and physical facilities available.

 No student shall be eligible to seek admission to the Master's course in faculties who has not successfully pursued the first degree course of three years duration/or four year duration (where the bachelor degree is of four years).

2. The Candidates seeking admission to a course of study in this University including its affiliated colleges/ institutions must satisfy the rules and the conditions made in this behalf.

Ordinance A-6

On Degrees, Diplomas and Certificates

(Under Section 31(1) (d) of the Tripura University Act, 2006)

The following Degrees, Diplomas and Certificates in accordance with conditions, which may be laid down from time to time in each case by an Ordinance or otherwise, will be awarded by the University in accordance with the provisions of the Ordinances and Regulations if any, in each case:

(i) Research Degrees of Master of Philosophy, Doctor of Philosophy, Doctor of Science, Doctor of Literature and Doctor of Law;

(ii) Master's Degree in Arts, Sciences, Computer Applications, Information Technology, Commerce, Education, Law, Agriculture, Management Studies, Pharmacy, Medicine, Engineering, Technology, and such other discipline may be approved by the Academic Council from time to time in accordance with the degree specified by the UGC;

(iii) Bachelor's degree (General and Honours) in Arts, Science, Commerce, Computer Applications, Pharmacology, Education, Agriculture, Medicine, Engineering, & Law and such other disciplines as may be approved by the Academic Council from time to time in accordance with the degree prescribed by the UGC;

(iv) Post Graduate Diploma in Kokborok Language & Literature, Bamboo cultivation and Resource Utilization and such other areas as may be approved by the Academic Council from time to time;

(v) Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, Electronics, Information Technology, Computer Application, Medical Lab Technology, fashion Technology, Food Processing technology and such other fields as may be approved by the Academic Council from time to time;

(vi) Diplomas and certificates in various languages;

(vii) Certificates in Arts, Science, Commerce and other courses as may be approved by the Academic Council from time to time;

(viii) Honorary degrees; and

(ix) Degrees (Master's and Bachelor's) Diplomas and Certificates in various professional courses by the University from time to time.

Ordinance B-1

On the Powers and Functions of the Dean of Faculties

(Under Section 31(1) (p) read with Clause (3) of statute 5)

The Dean of a Faculty shall be the Head of the Faculty and shall be responsible for the conduct and maintenance of standards of teaching and research in the Faculty. She/ he shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the Faculty by rotation in the order of seniority for a period of three years.

The Dean shall have the following powers and functions:

a. to co-ordinate and supervise the teaching and research work in the faculty through the Heads of departments/ Centres;

b. to maintain discipline in the faculty through the Heads of Departments/ Centres;

c. to take steps to promote inter-disciplinary teaching and research, whenever necessary;

d. to recommend for the examination of the University in respect to the students of the faculty in accordance with the directions as may be given by the Board of Faculty or the Academic council;

e. to keep a record of the evaluation of the sessional work and the attendance of the students at theory classes, tutorials, seminars or practicals when these are required for the examinations of the students;

f. to take steps to give effect to the decisions and recommendations of the faculty; and

g. to perform such other duties as may be assigned to her/ him by the Academic Council, Executive Council or the Vice-Chancellor.

Ordinance B-2

The Heads of the Departments & their Functions

(Under Section 31(1) (p) of the Tripura University Act, 2006)

1. Each Department shall have a Head who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors for a period not exceeding three years, by rotation;

 Provided that where in any Department there is only one Professor or there is no Professor, the Vice-Chancellor may also appoint one of the Readers as the Head of the department for a period not exceeding three years;

 Provided further that the person appointed as the head of the Department shall hold the office for the duration of appointment from the date he/ she is appointed Head, unless he/ she ceases to be a member of the staff or regions the headship.

2. The Head of the Department shall, under the general guidance of the Dean of faculty;

 (a) Organize the teaching and research work in the Department;

(b) Allocate teaching work to the teachers in the department and assign to them such other duties as may be necessary for the proper functioning of the department;

(c) Coordinate the work of the Departmental Committees appointed for specific purposes, and

(d) Perform such other duties as may be assigned to him by the Dean, Board of the Faculty, the Academic Council, the Executive Council and the Vice-Chancellor.

Ordinance B-3

On the Dean's Committee

(Under Section 31(1) (j) of the Tripura University Act, 2006 read with Clause (1) of Statute 22)

1. Short title:

The University shall constitute a Committee of Deans of Faculties of Studies to maintain the uniformity in the standard of teaching and research among the Faculties.

2. Constitution of the Committee:

The Dean's Committee shall comprise of the following:

i. The Vice-Chancellor – Chairperson (Ex-officio)

ii. The Pro-Vice-Chancellor – Member (Ex-Officio)

iii. All Deans of Faculties – Members

iv. The Controller of Examinations – Member

v. The Registrar – Secretary

3. Functions:

The functions of this committee can be as follows:

a. to consider matters arising for conduct of examinations, standard of results and research etc;

b. to consider general administrative matters on the functioning of faculties and departments;

c. such other matters as may be assigned to it by the Executive Council or may be referred to by the Vice-Chancellor

4. Meeting:

The notice of the meeting will be issued by the Secretary (Registrar) taking the consent from the Chairperson.

5. Quorum:

The quorum for a meeting shall be one-third of its total members.

6. Rules of Business:

The rules of conduct of meetings shall be prescribed by the regulations in this regard.

Ordinance B-4

On the College Development Council

(Under Section 31(1) (l) of the Tripura University Act, 2006)

1. Title:

There shall be a College Development Council in the Tripura University. This Council is responsible for admitting colleges to the privileges of the University as well as to provide a leadership for maintenance of the academic and administrative standards of the colleges.

2. Constitutions: The Council shall have the following members:

(1) The Vice-Chancellor - Chairperson (Ex-officio)

IndiaCode

(2) The Pro-Vice-Chancellor	-Member (Ex-officio)
(3) Two teachers of Professor/ Associate Professor grade, Member one from Science Departments and another from Arts/ Commerce Departments, to be nominated by the Vice-Chancellor on rotation basis.	- Member
(4) Three principals of affiliated colleges, one from general colleges, one from technical colleges and the rest one from vocational colleges, to be nominated by the Vice-Chancellor in order of seniority in the service in the colleges on rotation basis.	- Member
(5) Three teachers of affiliated colleges, one from Science departments, one from Arts Departments and the rest one from Commerce/ Technical/Vocational Departments to be nominated by the Vice-Chancellor in order of seniority on rotation basis.	-Member
(6) The Director of the Higher Education of the state	-Member
(7) The Controller of Examinations	- Member
(8) The Finance Officer	-Member
(9) The Dean of Student's Welfare	- Member
(10) The Director of College Development Council	-Member
(11) The Registrar	-Secretary (Ex-officio)

IndiaCode

3. Terms of Office:

The terms of office of members other than Ex-officio shall be of two years.

4. Fill up the vacancy:

The Vice-Chancellor shall take necessary measures to fill up any post vacated due to illness, death or resignation or otherwise of a member at the earliest.

5. Meeting:

(i) The Council shall meet at least twice in an academic year and the meeting shall be convened by the Secretary in consultation with the Vice-Chancellor

(ii) The Vice-Chancellor shall preside over the meeting. In his/her absence Pro-Vice-Chancellor shall preside over the meeting.

6. Notice:

The meeting of the notice shall be served at least 21 days before the date fixed for the meeting except for special meeting.

7. Quorum:

One-third of the actual membership of the Council present in a meeting shall form the quorum.

8. Minutes

The Secretary shall keep record of the proceedings of the meeting and circulate to the members within 15 days after the meeting.

9. Powers and Functions:

College Development Council shall have the following powers and functions:

(i) to recommend all matters relating to the affiliated colleges as the Principal Advisory body to the Executive Council through the Academic Council;

(ii) to assess the suitability and adequacy of its accommodation and equipments for teaching in the affiliated colleges;

(iii) to assess the qualifications and adequacy of the teaching staff and the conditions of their services in each affiliated colleges;

(iv) to inspect the arrangements for the residence, welfare, discipline and supervision of students in the colleges;

(v) to assess the adequacy of financial provision made for the continuous maintenance of the colleges;

(vi) to make suggestions on various aspects of education with view to gradual improvement of the general educational and administrative standards in the colleges;

(vii) to prepare different developmental projects on behalf of the colleges and to submit to various funding agencies for overall improvement of the colleges;

(viii) to arrange inspection of the colleges once in every two academic years on the advice of the Vice-Chancellor or the Academic Council with a view to preparing and maintaining an up-to-date profile on each college and to follow up the Inspection reports and to suggest for corrective measures whenever necessary. The Members of the Inspection Team shall be nominated by the Vice-Chancellor;

(ix) to review the academic performances of the colleges from time to time and to make suggestions for improvement;

(x) to make suggestions for promotion and encouragement of extra-curricular activities in the colleges;

(xi) to arrange for Inspection Team to review the conducting of the examination of the colleges as per University guidelines and to suggest corrective measures if requires.

10. The Director of the College Development Council shall look after the day to day business of the Council and will be the Liaison Officer between the university and the affiliated colleges for communications of the directives of the University to the colleges and to receive the matters of the colleges.

Ordinance B-5

On the Dean, Student's Welfare

[Under Section 31(1) (p) read with Clause (1) (i) of Statute 39]

1. There shall be a Dean of Students' Welfare.

2. The Dean of Students' Welfare shall be appointed by the Vice-Chancellor from among the Professor & Associate Professor of the University. The Dean so appointed shall hold office, in addition to his/ her normal duties as a Professor/ Associate Professor, for a term of three years, and shall be eligible for reappointment.

3. When the office of the Dean of Students' Welfare is vacant or when the Dean of Students' Welfare is, by reason of illness or absence for any other cause, unable to perform the duties of his/ her office, the duties of the office shall be performed by such persons as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

4. Powers and functions of the Dean of Students' Welfare:

(a) The Dean of Students' Welfare shall be the Chairman of the Students' Council.

(b) The Dean of Students' Welfare shall look after the general welfare of the students, and also provide appropriate encouragement for the sound and fruitful relationship between the intellectual and social life of the students and for those aspects of the university life outside the class room which contribute to their growth and development, as mature and responsible human beings.

(c) The Dean of Students' Welfare, inter alia, shall arrange for the guidance of and advice to the students of the university in matters relating to:

(i) Organizing and development of students' bodies ,

(ii) Counseling and students' guidance and career advice services,

(iii) Extra-curricular and sports activities of the students,

(iv) Students' financial aid, if any,

(v) Student-faculty and student-administration relationship,

(vi) Health and medical services for the students,

(vii) Residential life of the students,

(viii) Securing facilities for the students for further studies in the country, and/ or abroad, and

(ix) Students' Educational tour, if any.

(d) The Dean of Students' Welfare shall exercise such powers and perform such duties in the pursuit of the above objectives as may be assigned to him/ her from time to time by the Vice-Chancellor.

Ordinance B-6

On the residence of Students of the University

[Under Section 31(1) (h) of the TU Act, 2006]

1. Objectives:

There shall be halls of residence for students of the University as a large section of students come from distant places and reside in the rented houses of the city and University campus area. The objectives of residence in the halls are as follows:

(a) to provide to the students a congenital place to live so that they can devote themselves to pursuit of higher learning.

(b) to provide enlighted guardianship to the students during an impressionable age when they are living away from their parents/ guardians.

(c) to provide an opportunity of the students to live together as family members and to develop in them a spirit of co-operation and fellow feeling in a societal frame.

(d) to develop in the students the capacity to govern their own affairs.

2. Halls of Residence:

(e) The University shall maintain such hostels as may be necessary for the residence of the students;

(f) Each hall of residence (hostels) may be given names as decided by the University;

(g) Each hostel shall be under the charge of a warden;

(h) Each hostel shall maintain such register and records, as may be prescribed by the University, and shall furnish such statistical information as the University may require, from time to time,

(i) Every residence of the hostels shall have to observe discipline as per the hostel rules.

3. Wardens of Halls of residence:

(i) Appointment; The Wardens of the hostels shall be appointed by the Vice-Chancellor for a period of three years, on such terms and conditions as may be prescribed by the Executive Council from time to time. They are entitled to an unfurnished residential accommodation on rent free basis and an honorarium as may be decided by the Executive Council from time to time.

(ii) Powers and functions of Wardens: The wardens of hostels shall perform such duties as are assigned to them by the Vice-Chancellor from time to time and they shall function in consultation with the Dean, Students' Welfare. In addition to specific duties assigned by the Vice-Chancellor, the Wardens shall perform the following duties:

(a) He/she shall be responsible for the health, hygiene, sanitation, cleanliness and food of the resident students;

(b) He/she shall ensure that the residents in his/ her charge observe the hostel rules properly and maintain discipline and decorum;

(c) He/she shall allot rooms to the students assigned to his/her, maintain a list of students alongwith permanent address of parents/ guardians and such other information as may be required by the appropriate authority;

(d) He/she shall maintain a daily record of the resident students such as students present each day and students absent from the hall together with reasons of absence;

(e) He/she shall report to the Dean, Students' Welfare all cases of misbehaviour, indiscipline and illness of students residing in his/ her hostel;

(f) He/she will be responsible for the overall security of the hostel and will coordinate his/her responsibility with the Security Officer of the University

(g) He/she will periodically verify the furniture and fillings of the hostel with the assistance of the Caretaker, and take action for their repairs/ replacement or for obtaining additional furniture;

(h) He/she shall have the right to inspect hostel rooms;

(a) He/she shall have administrative control over the staff assigned to the hostel.

(b) He/she will advise in the selection of newspapers and magazines and will check the bills prepared by the Caretaker for purchase of these newspapers and magazines.

(c) He/she will take disciplinary action for keeping any unauthorized guest.

(d) He/she will ensure maintenance of discipline and decorum in the common room.

(e) He/she will look after the cultural programme of the hostel and regulate disbursements out of the hostels' recreation grant.

(f) He/she will stop mess facilities in respect of residents defaulting payment of mess bills or those who have vacated the hostel or have been evicted.

4. Prefect and Local committees:

(a) For smooth management of each hostel, the Warden will be assisted by the Prefect and a Local committee which may consist of:

(i) Warden – Chairperson

(ii) Prefect – Member

(iii) Three students of the hostel, one of whom shall be the mess

manager/ secretary - Members

(b) The Local committee shall be appointed by the Warden and its term of office shall be one year.

(i) One or more prefects may be appointed by the warden who shall assign him/her such duties as he/she may deem proper for the smooth functioning of the hostel.

(ii) The prefect shall hold office for one year and shall be entitled to free accommodation in the hostel during the period of office provided he/she will not receive the HRA.

Ordinance B-7

On the Medium of Instruction and Examination

[Under Section 31(1) (c) of the TU Act, 2006]

English shall be the medium of instruction and examination in the research and study programmes of Academic Departments, unless otherwise decided by the university.

Provided that in the language subjects, the medium of instruction and examination shall be the respective language unless otherwise decided by the University.

Ordinance B-8

On the Convocation

[Under Section 31(1) (d) of the TU Act, 2006 read with

Statute 32 and 27 (1)]

IndiaCode

1. Annual Convocation:

A convocation for the purpose of conferring degrees, diplomas and other distinctions of the University, shall be held every year on a date and place as may be fixed by the Executive Council with prior approval of the Chancellor.

Provided that in case the convocation is not held in a particular year, the Vice-Chancellor is competent to authorize admission of successful candidates in the year to their respective degrees in absentia and authorize the Registrar to issue the degrees on payment of the prescribed fee.

2. Special Convocation:

A special convocation may be held on such date as may be decided by the Executive Council on the recommendation of the Academic Council for the purpose of conferring any honorary degree under special circumstances with a prior approval of the Visitor.

3. Notice:

(a) Not less than four weeks notice shall be given by the Registrar for all meetings of the convocation.

(b) The Registrar shall, with the notice, issue to each member of the convocation, a programme of the procedure to be observed thereat.

(c) The candidates who have passed their examinations in the year for which the convocation is held shall be eligible to be admitted to the convocation.

4. Degrees to be conferred and Medals/ Diplomas/ Certificates to be awarded:

(a) Honorary Degree/ Special Medals;

(b) Doctors' Degree

(c) Masters' Degree

(d) Post-Graduate Degree

(e) Under-Graduate Certificates

(f) Medals and Certificates

5. Applications:

(a) A candidate for the degree must submit to the Registrar his/ her application on or before the date prescribed for the purpose for the admission to the degree at the convocation in person alongwith the prescribed fee.

(b) Candidates who are unable to present themselves in person at the convocation shall be admitted to the degree in absentia by the Vice-Chancellor and their degrees shall be given by the Registrar on the basis of application and payment of the prescribed fee.

6. Fees:

The fee for admission to the degree at the convocation in person shall be Rs. 200/-. The fee for admission to the degree at the convocation in absentia shall be Rs. 300/-.

7. Honorary Degree:

Honorary degrees shall be conferred only at a convocation and may be taken in person or in absentia.

8. Presentation of the recipients:

(a) The presentation of the persons at the convocation on whom honorary degrees/ special medals are to be conferred shall be made by the Vice-Chancellor to the Chancellor or in the absence of Chancellor the senior-most Dean to the Vice-Chancellor.

The Officer so presenting the recipient of an Honorary Degree/ special medals shall address the chair and say, "Sir, I am privileged to present to you…….. for conferment of the degree of …… honoris causa which has been recommended by the Executive Council and confirmed by the Chancellor' and may in his/ her discretion, add such remarks as he/ she may think fit regarding the achievements of the recipient which have led to his/ her being chosen for the high honour.

The Chancellor or the Vice-Chancellor, as the case may be, shall thereupon, say "The Court/ the Executive Council of the Tripura University is pleased to confer upon you the degree of ……..honoris causa" and may, in his/ her discretion, add such remarks as he/ she may think fit regarding the achievement of the recipient which have led to his/ her being chosen the high honour.

(b) After the conferment of Honorary degrees and award of special medals, the Vice-Chancellor shall say, 'Mr. Chancellor, Distinguished Guests, Members of the University Community, Ladies and Gentlemen, we now come to the significant and impressive ceremony of conferring Doctors' and Masters' degrees and awarding Post-Graduate and Under-Graduate diplomas and certificates to those students who have been examined and found qualified to receive them. All of these degrees, diplomas and certificates have been recommended by the appropriate academic authority and by the Court/ the Executive Council."

(c) Candidates for the Doctors' degrees shall be presented as the faculty wise, Literature, Natural Sciences, Social Sciences, Medical Sciences, Commerce, Engineering and …….. as per chronology in the Statute.

(i) The Dean of each faculty of Post-Graduate Studies shall say to the candidates for the Doctors' degrees, "Will the candidates for the conferment of the degree of ……please stand up and remain standing until I request them to resume their seats?"

(ii) The Dean shall then say to the Vice-Chancellor, "Sir, I present to you the candidates for the degree of doctor of …… (here mention the appropriate degree) and I pray that the degrees for which they have been recommended may be conferred on them", thereafter, the Dean shall say to the candidates, "Please be seated".

(iii) When all the candidates for the Doctors' degree have been so presented by the appropriate Deans, the Vice-Chancellor shall say, "Will all the candidates who have been presented for Doctors' Degree, please stand up? (Pause). The Executive Council of Tripura University is pleased to confer upon the degree for which you have been recommended and admit to all the rights and privileges respectively pertaining thereto and I, by virtue of the authority vested in me as Vice-Chancellor of this University, charge you that ever in your life

and conversation you show yourselves worthy of the same, "Please be seated". The candidates will then take their seats.

(d) The candidates for the Masters' Degrees and Post-Graduate Diplomas and Certificates shall be presented as Faculty wise by the Heads of the respective Post-Graduate departments.

(i) The Head of each Post-Graduate Department shall say to the candidates, "Will the candidates who are to be presented for the degree of Master of ……/ Diploma in ……/ Certificate in ….. from the University/ College please stand up and remain in standing until I request them to resume their seats?

(ii) The Head shall then say to the Vice-Chancellor, "Sir/ Madam, I present to you the candidates for the degree of Master of …../ Diploma in …../ Certificate in …….and I pray that the degree/ diploma/ certificate for which they have been recommended may be conferred/ awarded on them". He/she shall thereafter say to the candidates, "Please be seated".

(iii) After the candidates for the Master's degrees and Post-Graduate Diplomas and Certificates have been so presented, the vice-Chancellor shall say, "ill all the candidates who have been presented for Master's Degrees and Post-Graduate Diplomas and Certificates please stand up? (Pause). The Court/ Executive Council of Tripura University is pleased to confer upon you the degrees, diplomas, and certificates for which you have been recommended and admit you to all the rights and privileges respectively pertaining thereto and I, by virtue of the authority vested in me as Vice-Chancellor of this University, charge you that ever in your life and conversation you show yourselves worthy of the same". (Immediately the candidates shall acknowledge by a bowl!). "Please be seated".

(e) After the conferment of Degrees and the award of the Post-Graduate Diplomas and Certificates, the Registrar shall call the names of recipients of medals to be awarded on the result of examinations and other competitions, when upon each candidate whose name is so called, shall proceed to the Chairman (Chancellor or Vice-Chancellor) to receive his/ her medal from his/ her.

(f) The Registrar then shall call the names of the Principals of the Under-Graduate colleges to collect the certificates of the candidates from their colleges, whereupon each Principal whose name is so called, shall proceed to the Vice-Chancellor to receive the packet from his/ her.

(g) In the absence of the Dean of a Faculty, the function of such Dean shall be performed by the Registrar.

9. Procedure for the session:

(a) The Chancellor, the Chief-Guest, the Chief Rector, the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, the Registrar, he Deans, the members of the University authorities shall assemble in a meeting room at the appointed hour and shall wear their special robes prescribed by the University.

(b) All of them shall walk in a procession in the following order to the Convocation Hall:

(i) The Registrar

(ii) The Visitor of the University, if present

(iii) The Chief Rector

(iv) The Chancellor

(v) The Chief Guest

(vi) The Vice-Chancellor

(vii) The Pro-Vice-Chancellor

(viii) The Guests and Ex Vice-Chancellor

(ix) The Court

(x) The Executive Council

(xi) The Academic Council

(xii) The Deans

(xiii) The Heads of P.G. Departments

(xiv) The Controller of Examinations

(xv) The Finance Officer

(xvi) The Director, College Development Council

(xvii) The Librarian

(c) When the procession enters the Convocation Hall, the candidates and audience shall rise and remain standing until the members of the procession have taken their seats in places reserved for them.

(d) The Chancellor or in his/ her absence, the Vice-Chancellor shall preside at the Convocation.

(e) The Chancellor or the Vice-Chancellor, as the case may be, presiding at the Convocation shall, for the purpose of opening the Convocation, say, "I decide the Convocation opens". If a Convocation extends for more than one session, the Chancellor or the Vice-Chancellor, as the case may be, presiding there at, shall say, at the end of each session other than final session, "I declare the convocation adjourned until….."

(f) The Programme of the Convocation shall begin with recitation of the Holy Gita and inaugural songs.

(g) The Chancellor/ the Vice-Chancellor shall introduce the Guest Speaker in appropriate words befitting the occasion and may invite him/her to deliver a Convocation address. If the Chairman desires, this address shall be at the end of the distribution of medals.

(h) The Vice-Chancellor shall then present the Annual Report of the University.

(i) The Officers shall present the recipients of Honarary Degrees/ Other Degrees/ Certificates/ Medals as per order mentioned in Clause 8 and the Vice-Chancellor shall confer their respective Degrees.

(j) The Chief-Rector shall address the Convocation.

(k) The Chancellor shall give his/ her Presidential Address.

(l) The Registrar shall propose a Vote of Thanks for the purpose of closing the Convocation. The Chancellor or the Vice-Chancellor as the case may be shall say, "I declare the Convocation closed".

(m) The National Anthem will be recited and all the members of the Convocation and audience shall stand up.

(n) The procession will leave the Convocation Hall in the same order as it entered. The recipients and the audience shall remain standing till the procession has left the Convocation Hall.

Ordinance B-9

On the Discipline Committee for maintenance and

proper conduct among the students of the University

and its colleges

(Under Section 37(1) of the TU Act, 2006 read in Clauses (1), (6) and (7) of Statute 29)

1. Title:

There shall be Discipline Committee of the University for maintenance of discipline and proper conduct among the students of the University and its colleges.

2. Constitutions:

The Discipline Committee shall comprise of the following members:

1. The Vice-Chancellor - Chairman

2. The Pro-Vice-Chancellor	- Member
3. The Deans of the Faculties	- Member
4. The Dean of the Students' Welfare	- Member
5. The Hostel wardens (special invitee, if matters related to hostels are placed in the meeting)	- Member
6. The Director of College Development Council	-Member
7. The Controller of Examinations	- Member
8. The Proctor	-Member Secretary

3. Powers and Functions:

(i) To frame some rules of discipline and disciplinary jurisdiction in the form of a declaration, which has to be signed by every student at the time of admission;

(ii) To consider the matters of the students related to misconduct in a Class/Office/Library/ Auditorium/ Examination Centre or misbehaviour towards a teacher or any employee of the University;

(iii) To review from time to time the overall situation regarding discipline in the University;

(iv) To consider the actions taken by the Proctor/ Hostel Wardens, the committee may confirm or modify the decisions.

4. Dispute Case:

The decision of the Discipline Committee shall be final and binding.

5. Quorum:

One-third of the total members present in a meeting shall constitute the quorum of the said meeting.

O. S. ADHIKARI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./297(380-B)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.11.22 19:15:43 +05'30'